

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक:- ई-18/एम/जोन-बीकानेर/2019/ दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	पे मेट्रिक्स लेवल
1.	ममता शर्मा, कनिष्ठ सहायक, चूरु।	06.08.2010	09 वर्ष	06.08.2019	एल-6
2.	श्रीमती द्रोपती देवी, कनिष्ठ सहायक, श्रीगंगानगर।	18.06.2010	09 वर्ष	18.06.2019	एल-6
3.	श्री शलेन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक, श्रीगंगानगर।	23.07.1992	27 वर्ष	23.07.2019	एल-11
4.	श्री पवन कुमार, कनिष्ठ सहायक, हनुमानगढ़।	07.10.2009	09 वर्ष	07.10.2018	एल-6

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

S. K.
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-18/एम/जोन-बीकानेर/2019/2495

दिनांक : 16/12/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ़, चूरु/श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु0 स्वा. केन्द्र, रामगढ़, हनुमानगढ़।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

Y
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर